कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, प्रयागराज।

दिनांकः 10/08/2020

पत्रांक 40 /पि0व0क0/2020–21

समस्त कुलसचिव/रजिस्ट्रार/प्राचार्य,
जपपद–प्रयागराज।

विषयः वित्तीय वर्ष 2020–21 से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्रों के अधार नम्बर अपडेट कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 507 दिनांक 16 जुलाई, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 से भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं के आधार नम्बर का ऑथेन्टिकेशन होने के पश्चात ही आनलाइन आवेदन किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था में छात्रों का आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, लिंग व जन्म तिथि का मिलान भारतीय विशिष्ट प्रचान प्राधिकरण **(UIDAI)** से आनलाइन कराया जायेगा। उक्त डाटा का **(UIDAI)** से मिलान होने के पश्चात् छात्र का आवेदन पत्र छात्र स्तर से आनलाइन फाइनल सबमिट हो सकेगा। आधार कार्ड में उक्त विवरणों में कतिपय डाटा गलत हो सकते हैं, जिनके शुद्धिकरण कराये जाने की आवश्यकता छात्रों की होगी। इस सम्बन्ध में छात्रों, उनके माता–पिता व शिक्षण संस्थानों को जागरूक किया जाना आवश्यक है, ताकि यदि आधार कार्ड में कोई गलत डाटा है, तो उसको सम्बन्धित आधार कार्ड कार्यालय से समयान्तर्गत शुद्ध करा लिया जाये।

चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 से आधार बेस्ड भुगतान की प्रकिया प्रारम्भ की जानी है, इस हेतु आधार बेस्ड भुगतान की प्रकिया के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं के आधार नम्बर से लिंक/सीडेड बैंक खाते में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अंतरित की जानी प्रस्तावित है। इसलिए छात्र/छात्राओं द्वारा भरे गये आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम व लिंग तथा जन्म तिथि का सत्यापन होने के पश्चात आधार नम्बर, से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 भेजा जायेगा। उक्त ओ0टी0पी0 को आवेदन पत्र में भरने के उपरान्त छात्र द्वारा आवेदन पत्र आनलाइन सबमिट किया जा सकेगा।

उपरोक्त प्रकार की कार्यवाही किये जाने हेतु छात्रों के स्तर पर निम्न कार्यवाही समयान्तर्गत किया जाना आवश्यक होगा :–

1. सभी छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध होना चाहिए, जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें प्रत्येक दशा में आधार कार्ड बनवा लेना चाहिए।
2. जिन छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है, वे आधार नम्बर को अपने मोबाइल नम्बर एवं राष्ट्रीयकृत/निजी/ग्रामीण बैंकों में खुले बैंक खातों से लिंक/सीड करा लेना चाहिए।
3. हाईस्कूल अंकपत्र/प्रमाण–पत्र में अपना नाम तथा अपने माता–पिता/पति के नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड में अपना व माता–पिता/पति का नाम अपडेट करा लेना चाहिए।
4. हाईस्कूल अंकपत्र/प्रमाण–पत्र में जन्म तिथि को आधार कार्ड में अपडेट करा लेना चाहिए।
5. आधार कार्ड में यदि लिंग (जेण्डर) गलत है, तो उसकी भी शुद्ध करा लेना चाहिए।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि उक्त कार्यों का समयान्तर्गत कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, जिससे कोई भी छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित न रह सके।

10.08.2020

(इन्द्रसेन सरोज,)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्याः /पि0व0क0/2020–21 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
2. मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
3. उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से जनपद की समस्त शिक्षण संस्थाओं को सूचित करने का कष्ट करें।

(इन्द्रसेन सरोज,)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
प्रयागराज।